कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

क्रमांक/स्था./2026/35 दिनांकः 14/1/26

::आदेश::

सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 के नियम 52 (1) व आदेश 45 के नियम 1 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 47/पी.आई. दिनांक 10.11.1970 एवं सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 के नियम 43 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर मुख्यालय पर स्थित फौजदारी एवं दीवानी न्यायालयों के लिए निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यों हेतु वर्ष 2026 के लिए आयुक्त नियुक्त किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम अधिवक्ता सर्व श्रीमती/सुश्री	एनरोलमेंट नम्बर	किस कार्य हेतु नियुक्त किया जाना है
1.	सुनीता अहीर	R/3015/2003	सर्वेक्षण कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों हेतु
2.	दीप्ति ब्यावत	R/3740/2010	अन्य कार्यों हेतु

14.1.2026
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर

क्रमांक/2026/1500 – 1556 दिनांकः 14/1/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, अजमेर न्यायक्षेत्र
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर
3. जिला कलक्टर, अजमेर
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, अजमेर/किशनगढ़/केकड़ी/नसीराबाद/पुष्कर/सरवाड़/ग्राम न्यायालय, पीसांगन
5. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, अजमेर
6. रीडर ग्रेड–I/स्टेनोग्राफर ग्रेड–I जिला न्यायालय, अजमेर
7. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा जिला न्यायालय, अजमेर
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करें।

14.01.2026
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर